न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 294/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मोहनराम पुत्र माणकराम 2– सीता पत्नी घेवरराम 3– राजू पुत्र घेवरराम 4– श्यामलाल पुत्र घेवरराम 5– प्रकाश पुत्र घेवरराम 6– पुखाराम पुत्र अणदाराम 7– हीराराम पुत्र श्रीराम 8– भवराराम पुत्र श्रीराम 9– पपूराम पुत्र श्रीराम 10–पांचाराम पुत्र श्रीराम 11–किशनाराम पुत्र पोकरराम 12–जैताराम पुत्र हपाराम 13– बचनाराम पुत्र कानाराम 14–बीरबलराम पुत्र कानाराम 15–बाबूराम पुत्र कानाराम 16–खीयाराम पुत्र देवाराम 17–मोहनराम पुत्र देवाराम 18–गिरधारीलाल पुत्र शंकरलाल 19–नारायणराम पुत्र शंकरलाल 20–हरभजनराम पुत्र शंकरलाल 21–भागीरथराम पुत्र शंकरलाल 22–हडमानसिह पुत्र कानसिह 23–हडुमानसिह पुत्र रणजीतसिह 24–शंकरसिह पुत्र रणजीतसिह 25–गोपालसिह पुत्र सोहनसिह उर्फ सोनसिह 26–दुर्गसिह पुत्र सोहनसिह उर्फ सोनसिह 27–भीमसिह पुत्र सोहनसिह उर्फ सोनसिह 28–रावतसिह पुत्र खुशालसिह 29–फतेहसिह पुत्र हरिसिह 30–पुरखसिह पुत्र हरिसिह 31–जीया पत्नी हीराराम 32–छैलाराम पुत्र हीराराम 33–खरीयाराम पुत्र देदाराम 34–जैताराम पुत्र धोकलराम 35–ओपाराम पुत्र धोकलराम 36–धोपीदेवी पत्नी धोकलराम 37–सोनाराम पुत्र मंगलाराम 38–चुकी पत्नी धुडाराम 39–बाबूराम पुत्र धुडाराम निवासीगण एवाल का धोरा, ग्राम पंचायत खिन्दाकौर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 अनवान तहसीलदार ओसियां बनाम मोहनराम वगैरा मे दिनांक 14–6–2018 को पारित किया गया ।

निर्णय

दिनांक 23–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तो की समस्या के समाधान हेतु मौके पर जारी रास्तो का सर्वे करवाकर उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन करने बाबत के संबंध मे तहसीलदार ओसियां ने ग्राम एवाल की धोरा पटवार मण्डल थोब के खसरा नंबर 215, 216, 217, 218, 219, 219/1, 214/3, 214/4, 214/5, 222, 223, 224, 225, 226 मे से होकर गुजरने वाले उपरोक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत थोब की बैठक दिनांक 6–4–2017 के प्रस्ताव संख्या 02 के तहत पारित किये गये प्रस्ताव अनुसार मौका मुआयना करवाकर अपनी अभिशंषा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को मय दस्तावेजो के प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–6–2018 के द्वारा उक्त खसरा नंबरान मे से गै.मु.रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबे का मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे मे नियमानुसार अंकन करने के आदेश पारित किये गये । जिसमे निजी खातेदारी की भूमि से स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगा परंतु जमाबंदी एवं नक्शे मे पृथक से खसरा नंबर दिया जाएगा और भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131, 136 के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा मे नही आता है क्योकि आदेश बिना कोई कारण का उल्लेख किये पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलांटगण को नोटिस जारी किये बिना पारित किया गया है, जिस कारण अपीलांटगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही कर सके इसलिए

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि को उनकी सहमति के बिना गै.मु.रास्ते मे दर्ज नही किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारान अपीलांटगण की सहमति के बिना ही तथा विधि के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है, जो आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तो की समस्याओ के समाधान बाबत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये अभियान मे जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू अभिलेख थोब एवं ग्राम पंचायम थोब की बैठक दिनांक 6–4–2017 मे पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अनुरूप तहसीलदार ओसियां ने बाद मौका मुआयना के ग्राम एवालकी धोरा पटवार मण्डल थोब के खसरा नंबर 215, 216, 217, 218, 219, 219/1, 214/3, 214/4, 214/5, 222, 223, 224, 225, 226 मे से होकर गुजरने वाले उपरोक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–6–2018 का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम पंचायत थोब की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 6–1–2017 के प्रस्ताव संख्या 2 जिसमे सर्वसम्मति से "समेल से चुडोला नाडा क्षेत्र तक जाने वाले परम्परागत रास्ता खसरा नंबरान 215, 216, 217, 218, 219, 219/1, 214/3, 214/4, 214/5, 222, 223, 224, 225, 226 राजस्व गांव एवाल की धोरा मे से होकर चल रहा है जो कि खातेदारी भूमि मे चल रहा है जिसे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने का निर्णय लिया गया ।" उक्त प्रस्ताव के साथ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16–5–2018 को शिविर प्रभारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 केम्प थोब के समक्ष प्रस्तुत

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ओसियां स्वयं द्वारा उक्त खसरान मे से चल रहे रास्ते का मौका मुआयना किया गया जिसमे उक्त खसरा नंबरान मे से रास्ता पिछले कई वर्षो से निर्विवाद रूप से चलना बताया तथा तद्नुसार पटवारी हल्का थोब एवं निरीक्षक भू अभिलेख थोब से विधिवत उक्त खसरान मे से रास्ते की भूमि का प्रस्ताव प्राप्त कर तहसीलदार ओसियां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसका परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित खसरान की भूमि मे से चले रहे परम्परागत रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज करने के जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–6–2018 को पारित किया है, जो व्यापक जनहित मे न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर